NORTH CENTRAL RAILWAY

No. Med./AGC/Recog./Path/2023
Date: - 28-10-2023

Office of the
Chief Medical Supdtt.
NCR, Agra

Sr. EDPM
NCR, Agra

Sub:- Uploading of Expression of interest document on Rly's website.
Ref:- ADVERTISEMENT FOR OUTSOURCING THE PATHOLOGY SERVICES FOR DIVISINAL RAILWAY HOSPITAL, AGRA & HEALTH UNIT, MATHURA

Please find herewith the documents related to ADVERTISEMENT FOR OUTSOURCING THE PATHOLOGY SERVICES FOR DIVISINAL RAILWAY HOSPITAL, AGRA & HEALTH UNIT, MATHURA along with CD for uploading on Rly's Website.

This EOI is being invited for ADVERTISEMENT FOR OUTSOURCING THE PATHOLOGY SERVICES FOR DIVISINAL RAILWAY HOSPITAL, AGRA & HEALTH UNIT, MATHURA.

DA/- As above

1. C.D.
2. One Expression of Interest in Hindi & English.
3. Approval of competent authority to load on website.

30/10/2023

Chief Medical Supdtt.
NCR, Agra

EXPRESSION OF INTEREST

# ADVERTISEMENT FOR OUTSOURCING THE PATHOLOGY SERVICES FOR DIVISINAL RAILWAY HOSPITAL, AGRA

CMS/North Central Railway/Agra is invites application from qualified investigation Centers for outsourcing the investigations of Pathology Lab, Willing investigation centre owner need to apply as per CGHS (NABL) Meerut rates applicable for year 2023-24 and 2024-25 within 15 (Fifteen) days of publication of advertisement. Following conditions ate mandatory:-

1. The Pathology lab should be accredited with NABL. In absence of NABL accredited lab, non NABL Lab may be considered.
2. The investigations should be well equipped (e.g.Full Automated Blood cell counter, computerized fully automated Chemistry Analyzer, Binocular Microscope, Automated Coagulometer, Automated Electorlyte Analyser, Automated Immunoassay Analyzr etc.) with latest state of art machinery. They should have adequate facilities for reporting. NABL accredited Lab which has their collection centre in Agra & Mathura are eligible to apply for the work on CGHS- NABL rate if they are good repute and their detailed information is avalibable on their website. Pathology Lab should have qualified Pathologist/ Medical Microbiologist.
3. Centre should have facilities for tests like Thyroid profile, fertility profile, Hormone profile, Histopathology, Cytology, tumour marker, Vitamin estimation. RT-PCR, besides routine clinical/ Bicochemical investigations covered under CGHS/ Govt. rate where CGHS rate are not available.
4. Blood alcohol test, OT culture and are also desired.
5. Pathology Centre will depute his own staff to collect test sample from Div. Rly- Hospital Agra.
6. Computerized reports of the patients should be provided.
7. The rates of Pathology investigations should be based on NABL/Non-NABL CGHS applicable for latest prevalent Meerut rate list including GST, wich will applicable for two years, means will not be changeable during the contract period of two years which will effective from the date of approval of this agreement.
8. No payment will be charged from Rilway employees/ their dependents and retired RELHS card holder employees duly referred by authorized Railway Medical Officer.
9. The mode of payment will be done on bill system based on NABL CGHS rates applicable for latest Prevalent Meerut rate list.
10. No emergency charges should be charged by centre for pathological investigation.
11. Investigation report should be provided within 24 hrs and in jemergency case the investigation report should be provided within 2 hrs. (Telephonically/on whatsapp)
12. Investigation facility for will be provided by investigation centre 24x7
13. Application along with all documents such as Registration, experience documents related to NABL accreditation, consent for performing tests on CGHS Meerut Rate and other relevant documents having seal and signature of the competent authority of investigation labon every page shoul be sent in a sealed envelope within 15 days of publication of advertisement in the office of CMS/AGC/NCR betwen10 am to5 pm in any working day.
14. Railway administration has right to cancel, reject or modify these contract's.
15. The pathology cente should be located within approximately 05km from divisional railway hospital, Agra.
16. Nearest lab to be given priority.
17. The centre should have provision for adequate biomedical waste disposal as per the existing Government policy.
18. Emergency service for collecting/processing should be available round the clock for emergency investigations .Sample to be collected by your staff from patients admitted at div railway hospital. Failure to collect te sample after receiving information will be liable for penalty of Rs.100/ on your lab and will be decucted from the bill submitted.

19. Preferably A soft copy of the investigation report for the day to day should also be forwarded on the email address drhagc2011@gmail.com
20. The work will be done on bill basis only and no provision for advance payment is permitted under any circumstances. no cash payment will be made.
21. The histopathology sample will have to be collected from OT directly. The information will be give to your lab directly. Preservative and container for the excised specimen have to be arranged by your lab.
22. In cytopathology, FNAC sample will have to be taken by your staff and patient will be referred to your centre with the requisition form duly sanctioned by CMS agc.
23. Representatives from railway will have right to inspect the pathology lab/collection centre before finalisation of contract and any time during the contract period, if required.
24. In emergency cases provisional report should be intimated to i/c pathology and referring doctor through SMS/WATSAPP
25. Total period of contract will be for 2 years from date of acceptance of contact at the same rate and terms and conditions.
26. In case of invalid/ spurious report etc. The payment for the inv will not be approved and suitable penalty will be imposed on the firms as per railway extant rules
27. In case of dispute in any reports, repeatation of test will be done without charges.
28. If the lab takes the sample and dose not provide the report for whatsoever reason, penalty of Rs.200/ will be imposed. The lab should ensure before taking the sample that it is sufficient in quantity. Rs. 500/ penalty will be imposed if your representative is not present on time.
39. Interested path lab should be registered with CMO office Agra/Mathura.
30. Authorised signatory of the lab /collection centre will deposit signed copy of CGHS Meerut 30 rates which is currently applicable along with application.

All the disputes or differences will be resolved by arbitrator deputed by GM/NCR/Allahabad, The arbitration act(26) of 1996 will be applicable for this, if disagreed with the decision of the arbitrator an appeal can be made to GM/NCR/Allahabad and his decision will be accepted by both parties,further disagrreing upon the matter can be taken to AGRA district court.

30/8/2023

Chief Medical Supdtt.
NCR, Agra

# उत्तर मध्य रेल

पत्रांक– मेड / आ0छा0 / मान्यता / पैथोलॉजी / आगरा / 23
दिनांक– 28.10.2023

कार्यालय
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
उ0म0रे0, आगरा

## अभिरूचि की अभिव्यक्ति

**मंडल रेल चिकित्सालय, उत्तर मध्य रेलवे, आगरा छावनी एवं स्वास्थ्य केन्द्र, मथुरा में बर्हिस्रोतों द्वारा पैथलॉजी सेवाएं प्रदान करने हेतु विज्ञापन**

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तर मध्य रेल, आगरा पैथोलॉजी जाँच से सम्बन्धित पैथलॉजिस्ट एवं लेबोरेटरीज से जो इस कार्य से सम्बन्धित अपना प्रयोगशाला चला रहे हैं ऐसे इच्छुक योग्य पैथलॉजिस्ट एवं लेबोरेटरीज (एनएबीएल एवं नॉन–एनएबीएल) संचालकों से इस विज्ञापन के प्रकाशित होने के पन्द्रह दिन के अन्दर ऑफर आमंत्रित किये जाते हैं।

निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य हैं –

1. पैथोलॉजिस्ट द्वारा चलाये जाने वाली प्रयोगशाला का आवश्यक आधुनिक उपकरणों से परिपूर्ण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला – आगरा अथवा मथुरा द्वारा पंजीकृत होना आवश्यक है।
2. पैथोलॉजी की सेवाएं सीजीएचएस (नॉन–एनएबीएल) / एनएबीएल 2014 मेरठ की दरों पर आधारित होंगी, जो दो वर्ष की अवधि हेतु मान्य होगी।
3. यदि लेबोरेटरी का पहले वर्ष का कार्य सन्तोषजनक रहा तो ही अगले वर्ष के लिए विस्तार हेतु विचार किया जायेगा तथा इस दौरान सीजीएचएस (नॉन–एनएबीएल) 2014 मेरठ की दरों में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा।
4. नई जॉचें जो सीजीएचएस 2014 मेरठ रेट लिस्ट में अंकित नहीं है उन्हें लैब वास्तविक रेट से डिस्काउन्ट पर उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान की जायेगी।
5. प्रयोगशाला धारक पैथलॉजिस्ट, एक सुव्यवाहरिक एवं प्रशिक्षित प्रयोगशाला तकनीशियन को मंडल रेल चिकित्सालय, आगरा / मथुरा से प्रतिदिन समय प्रातः 09:00 बजे से दोपहर 13:00 तक के लिये रक्त, मूत्र, मल इत्यादि जांचों के नमूने इकट्ठा कराना सुनिश्चित करेंगे तथा विशेष परिस्थिति में उक्त प्रयोगशाला तकनीशियन रेल कर्मचारी के निवास स्थान से भी सेम्पल इकट्ठा करेगा यदि पैनल में एक से अधिक प्रयोगशाला हैं तो प्रत्येक प्रयोगशाला से एक तकनीशियन एक मासिक रोटेशन के आधार पर चिकित्सालय से सेम्पल इकट्ठा करेगा।
6. अधिकृत रेल चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा रैफर रेल कर्मचारी, उनके आश्रितों एवं सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों से कोई भुगतान प्राप्त नहीं किया जायेगा।
7. भुगतान की पद्वति सीजीएचएस (नॉन–एनएबीएल) / एनएबीएल 2014 मेरठ की दरों पर आधारित रेट लिस्ट द्वारा होगी बिलों को प्रस्तुत करने के उपरान्त होगी। बिलों को माह समाप्त होने के 15 दिनों के अन्दर जमा करायें।
8. पैथोलॉजी पर **qualified** पैथोलॉजिस्ट होना आवश्यक है जिसके द्वारा रिपोटिंग की जाएगी।
9. केंद्र में थायराइड प्रोफाइल, फर्टिलिटी प्रोफाइल, हार्मोन प्रोफाइल, हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी ट्यूमर, मार्कर, विटामिन अनुमान एल्कोहल जैसे परीक्षणों की सुविधाएं होनी चाहिए।
10. मरीजों की कम्प्यूटरीकृत रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाये। पैथोलॉजी जांच की दरें जीएसटी सहित नवीनतम प्रचलित मेरठ दर सूची के लिए लागू एनएबीएल, गैर एनएबीएल सीजीएचएस पर आधारित होगी , जो दो साल के लिए लागू होगी, यानी दो साल की अनुबंध अवधि के दौरान परिवर्तनीय नहीं होगी जो कि इस समझौते की मंजूरी की तारीख से प्रभावी होगी।
11. रेलवे कर्मचारियों/उनके आश्रितों और अधिकृत रेलवे चिकित्सा अधिकारी द्वारा संदर्भित सेवानिवृत आरईएलएचएस कार्ड धारक कर्मचारियों से कोई भुगतान नहीं लिया जाएगा।
12. पैथोलॉजिकल जांच के लिए केंद्र द्वारा कोई आपातकालीन शुल्क नहीं लिया जाएगा।
13. जांच रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाए और आपातकालीन स्थिति में जांच की जाए रिपोर्ट 2 घंटे के भीतर प्रदान की जाए (वाट्सप टेलिफोन द्वारा भी सूचित की जा सकती है)।
14. जांच केंद्र द्वारा 24 x (7) days घंटे जांच की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
15. 1 -सभी दस्तावेजों जैसे सीएमओ का पंजीकरण। 2- डा0 के अनुभव से संबंधित दस्तावेज 3- वर्तमान का बायोमेडिकल अपशिष्ट निष्पादन वर्तमान का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। 4- जो जाँचें , सीजीएचएस मेरठ रेट लिस्ट में नहीं उन जाचों का लैब का वास्तविक रेट । 5- आवेदन पत्र एनएबीएल मान्यता, सीजीएचएस मेरठ दर और अन्य दस्तावेज़ पर जांच प्रयोगशाला के सक्षम प्राधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर के साथ विज्ञापन के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर सीएमएस/ एनसीआर / आगरा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच एक सीलबंद लिफाफे में जमा कराये।
16. रेलवे प्रशासन को इन अनुबंधों को रद्द करने, अस्वीकार करने या संशोधित करने का पूर्ण अधिकार होगा।
17. पैथोलॉजी सेंटर मंडल रेलवे अस्पताल के नजदीकी लैब को प्राथमिकता दी जायेगी।
18. लैब को सामान्य मरीजों की तुलना में विशेष जाँच के लिए भेजे जाने वाले रेलवे मरीजों को प्राथमिकता देनी होगी।

19. सूचना प्राप्त करने के बाद नमूना एकत्र करने में विफलता पर 100 रुपये का जुर्माना आपकी लैब पर लगाया जाएगा। और जमा किए गए बिल से काट लिया जाएगा।
20. दिन-प्रतिदिन की जांच रिपोर्ट की एक सॉफ्ट कॉपी को इस ईमेल पते **drhagc2011@gmail.com** भेजना सुनिश्चित करना होगा।
21. जांचे केवल बिल के आधार पर की जाएँगी और किसी भी परिस्थिति में अग्रिम भुगतान के प्रावधान की अनुमति नहीं है। कोई नकद भुगतान नहीं किया जाएगा।
22. हिस्टोपैथोलॉजी सैंपल सीधे ओटी से कलेक्ट करना होगा, यह जानकारी आपको प्रयोगशाला को सीधे दी जाएगी।
23. साइटोपैथोलॉजी में (FNAC) सैंपल आपके स्टाफ को लेना होगा मरीज को सीएमएस आगरा द्वारा विधिवत स्वीकृत मांग प्रपत्र के साथ आपके केंद्र पर रेफर कर दिया जाएगा।
24. रेलवे के प्रतिनिधियों को अनुबंध को अंतिम रूप देने से पहले और अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी समय, यदि आवश्यक हो, पैथोलॉजी लैब/संग्रह केंद्र का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
25. अमान्य/नकली रिपोर्ट आदि के मामले में, जांचो का भुगतान स्वीकृत नहीं किया जाएगा और रेलवे के मौजूदा नियमों के अनुसार फर्मों पर उचित जुर्माना लगाया जाएगा।
26. किसी भी रिपोर्ट में विवाद की स्थिति में पुनः परीक्षण बिना किसी शुल्क के किया जायेगा।
27. यदि लैब सैंपल लेती है और किसी भी कारण से रिपोर्ट नहीं देती है तो 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। लैब को सैंपल लेने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह पर्याप्त है। यदि आपका प्रतिनिधि समय पर उपस्थित नहीं हुआ तो 500/- जुर्माना प्रतिदिन लगाया जाएगा।
28. लैब/कलेक्शन सेंटर के अधिकृत संचालक सीजीएचएस मेरठ दर जो तत्काल लागू हैं की हस्ताक्षरित प्रति आवेदन के साथ जमा करेंगे ।
29. समस्त विवादों का निराकरण महाप्रबंधक / उत्तर मध्य रेल, इलाहाबाद द्वारा **Arbitration Act (26) 1996** की धारा के प्रसंग में नियुक्त आर्बीट्रेटर द्वारा किया जायेगा। निर्णय अमान्य होने की दशा में विवाद की अपील महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेल, इलाहाबाद के समक्ष की जायेगी। जिनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा। असहमति की दशा में प्रकरण जिला न्यायालय, आगरा के अधिकार क्षेत्र में रहेगा।

**(नोटः इच्छुक डायग्नोस्टिक सेंटर जो भी उपरोक्त सभी सेवायें दे सकते हैं वे ही आवेदन करें)।**

अजय शंकर प्रसाद
30/10/2023

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
उ0म0रे0, आगरा